

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थी सर्वश्री श्री0 जी0 इंटरप्राइजेज, 479, नीति खण्ड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश ।
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक 001 / 17, 09.01.2017
प्रार्थी की ओर से श्री अनिल कुमार गोयल, फर्म अधिवक्ता ।

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री श्री0 जी0 इंटरप्राइजेज, 479, नीति खण्ड-1, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश द्वारा दिनांक 27.12.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

(1)- क्या सैनेट्री फिटिंग [(जैसे कि चाईना/ सिरेमिक वेयर (European WC, Indian WC, Wash Basins, Cisterns and Mirror Cabinets etc.) and Chrome Plated fittings (Big Cocks, Angle Valves, Wall Mixers, Basin Mixer, Shower and accessories etc.)] उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है ? अतः उपरोक्त वस्तुएँ अनुसूची-5 के अन्तर्गत वर्गीकृत होनी चाहिए तथा 14.5 % (12.5% कर व 2% अतिरिक्त कर) की दर से करयोग्य होनी चाहिए ?

(2)- क्या सिरेमिक बाथरूम टाईल्स उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 के अन्तर्गत वर्गीकृत नहीं है ? अतः उपरोक्त वस्तुएँ अनुसूची-5 के अन्तर्गत वर्गीकृत होनी चाहिए तथा 14.5 % (12.5% कर व 2 % अतिरिक्त कर) की दर से करयोग्य होनी चाहिए ?

(3)- क्या ठेके के निष्पादन में प्रयोग किये गये सैनेट्री फिटिंग [(जैसे कि चाईना/ सिरेमिक वेयर (European WC, Indian WC, Wash Basins, Cisterns and Mirror Cabinets etc.) and Chrome Plated fittings Big Cocks, Angle Valves, Wall Mixers, Basin Mixer, Shower and accessories etc.)] की डीमड सेल वैल्यू पर कर की देयता 14.5 % (12.5% कर व 2 % अतिरिक्त कर) की दर से होगी ? क्या उपरोक्त सैनेट्री फिटिंग्स की डीमड सेल पर देय कर की दर में किसी भी प्रकार का कोई अन्तर होगा, अगर उपरोक्त सैनेट्री फिटिंग्स की खरीद प्रान्त बाहर से की गयी हो ।

(4)- क्या ठेके के निष्पादन में प्रयोग किये गये सिरेमिक बाथरूम टाईल्स की डीमड सेल वैल्यू पर कर की देयता 14.5 % (12.5% कर व 2 % अतिरिक्त कर) की दर से होगी ? क्या उपरोक्त सिरेमिक बाथरूम टाईल्स की डीमड सेल पर देय कर की दर में किसी भी प्रकार का कोई अन्तर होगा, अगर उपरोक्त सिरेमिक बाथरूम टाईल्स की खरीद प्रान्त बाहर से की गयी हो ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री अनिल कुमार गोयल, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।

सर्वश्री श्री0 जी0 इंटरप्राइजेज./ प्रा0 पत्र सं0-001 / 17 / धारा-59 / पृष्ठ-2

3. एडीशनल कमिशनर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन - द्वितीय, गाजियाबाद पत्र संख्या-1901, दिनांक 06.02.2017 द्वारा प्रेषित आख्या में प्रार्थना पत्र में विभिन्न वस्तुओं पर करदेयता के सम्बन्ध में स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई है :-

बिन्दु सं0- (1) विभागीय मत के अनुसार European WC, Indian WC, Wash Basins, Cisterns and Mirror Cabinets and Chrome Plated fittings Big Cocks, Angle Valves, Wall Mixers, Basin Mixer, Shower and accessories पर कर की दर 14.5 % है क्योंकि यह वैट अधिनियम के शिड्यूल-1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत नहीं है।

बिन्दु सं0 -(2) विभागीय मत के अनुसार सिरेमिक बाथरूम टायल्स पर कर की दर 14.5 % है क्योंकि यह वैट अधिनियम के शिड्यूल -1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत नहीं है।

बिन्दु सं0 -(3) विभागीय मत के अनुसार ठेके के निष्पादन में प्रयोग किये गये सैनेट्री फिटिंग (जैसे कि चार्ना / सिरेमिक वेयर European WC, Indian WC, Wash Basins, Cisterns and Mirror Cabinets etc.) and Chrome Plated fittings Big Cocks, Angle Valves, Wall Mixers, Basin Mixer, Shower and accessories etc. की डीमड सेल वैल्यू पर कर की दर 14.5 % है क्योंकि यह वैट अधिनियम के शिड्यूल-1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत नहीं है।

बिन्दु सं0 -(4) विभागीय मत के अनुसार ठेके के निष्पादन में प्रयोग किये गये सिरेमिक बाथरूम टायल्स की डीमड सेल वैल्यू पर कर की दर 14.5 % है क्योंकि यह वैट अधिनियम के शिड्यूल-1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत नहीं है।

बिन्दु सं0 - (5) विभागीय मत के अनुसार सिरेमिक वेयर European WC, Indian WC, Wash Basins, Cisterns and Mirror Cabinets and Chrome Plated fittings Big Cocks, Angle Valves, Wall Mixers, Basin Mixer, Shower and accessories पर कर की दर 14.5% से ही होगी चाहे वह खरीद प्रान्त बाहर की गयी हो अथवा प्रान्त अन्दर से की गयी हो। चूंकि यह वैट अधिनियम के शिड्यूल -1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत नहीं है इसलिए इन पर कर की दर 14.5 % है।

बिन्दु सं0 - (6) विभागीय मत के अनुसार सिरेमिक बाथरूम टायल्स की डीमड सेल वैल्यू पर कर की दर 14.5 % से ही होगी चाहे वह खरीद प्रान्त बाहर की गयी हो अथवा प्रान्त अन्दर से की गयी हो। चूंकि यह वैट अधिनियम के शिड्यूल-1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत नहीं है इसलिए इन पर कर की दर 14.5 % है।

बिन्दु सं0 - (7) विभागीय मत के अनुसार सैनेट्री फिटिंग [(जैसे कि चार्ना/सिरेमिक वेयर European WC, Indian WC, Wash Basins, Cisterns and Mirror Cabinets etc.) and Chrome Plated fittings (Big Cocks, Angle Valves, Wall Mixers, Basin Mixer, Shower and accessories etc).] की डीमड सेल वैल्यू पर कर की दर 14.5 % से ही होगी चाहे वह खरीद प्रान्त बाहर की गयी हो अथवा प्रान्त अन्दर से की गयी हो। चूंकि यह वैट अधिनियम के शिड्यूल -1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत नहीं है इसलिए इन पर कर की दर 14.5 % है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पृच्छित प्रश्न सैनेट्री फिटिंग, सिरेमिक बाथरूम टायल्स [(जैसे कि चार्ना/सिरेमिक वेयर European WC, Indian WC, Wash Basins, Cisterns and Mirror Cabinets etc.) and Chrome Plated fittings (Big Cocks, Angle Valves, Wall Mixers, Basin Mixer, Shower and accessories etc.)] उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 के अन्तर्गत वर्गीकृत न होने के कारण अवर्गीकृत की भाँति 12.5% कर व विधि अनुसार अतिरिक्त कर की देयता होनी चाहिए। कोई वस्तु चाहे सीधे बिक्री की जाये अथवा संविदा के निष्पादन में अंतर्गत की जाये, दोनों

सर्वश्री श्री0 जी0 इंटरप्राइजेज./ प्रा0 पत्र सं0-001 / 17 / धारा-59 / पृष्ठ-3

ही स्थितियों में वस्तु की कर देयता समान होती है अतः उक्त वस्तुएँ यदि संविदा के निष्पादन में अंतरित होती हैं तो भी उन पर 12.5% कर व विधि अनुसार अतिरिक्त कर की देयता होगी।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, गाजियाबाद जोन - द्वितीय, गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया। सैनेट्री फिटिंग, सिरेमिक बाथरूम टायल्स [(जैसे कि चाईना/सिरेमिक वेयर European WC, Indian WC, Wash Basins, Cisterns and Mirror Cabinets etc.) and Chrome Plated fittings (Big Cocks, Angle Valves, Wall Mixers, Basin Mixer, Shower and accessories etc.)] उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची- I, II, III एवं IV के अन्तर्गत वर्गीकृत न होने के कारण उपरोक्त वस्तुओं पर 12.5% कर व 2% विधि अनुसार अतिरिक्त कर की देयता होगी। कोई वस्तु चाहे सीधे बिक्री की जाये अथवा संविदा के निष्पादन में अंतरित की जाये, दोनों ही स्थितियों में वस्तु की कर देयता समान होती है अतः उक्त वस्तुएँ यदि संविदा के निष्पादन में अंतरित होती हैं तो भी उन पर 12.5% कर व विधि अनुसार अतिरिक्त कर की देयता होगी।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 30 अगस्त, 2017

ह0/ 30.08.2017

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।